राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

क्र. एफ 27(43)ग्रावि/ ग्रुप–5/पीएमएवाई–जी /M-1/विविध/2016–17 जयपुर, दिनांक 2 अगस्त 2016

स्थाई आदेश संख्या28/2016 (परिपत्र)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी को आश्रय वर्ष–2022 के मध्यनजर इन्दिरा आवास योजना को सुदृढीकरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रारम्भ की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत प्रति इकाई अनुदान सहायता राशि को बढाकर रू. 1,20,000 कर दिया गया है। लाभार्थी के चयन का आधार SECC-2011 के आंकडों को रखा गया है।

वर्तमान में संचालित ग्रामीण आवास योजनाओं एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश/व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है :–

1. आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगतिरत आवास एवं 01 अप्रैल, 2016 से प्रारम्भ प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थियों के सहयोग हेतु टैग अधिकारी नामित किये जाने के प्रावधान के कम में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक, पंचायत/प्रगति/खादी/सांख्यिकी प्रसार अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियन्ता को नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में मानदेय पर कार्यरत साक्षरता प्रेरक, आशा सहयोगनी, स्वच्छता प्रेरक, ग्राम पंचायत के वार्ड पंच एवं राजीविका के अधीन गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को भी नामित किया जा सकेगा।
2. उक्तानुसार टैग अधिकारी के रूप में सामूदायिक संसाधन व्यक्ति मानदेय आधारित गैर सरकारी कार्मिक/व्यक्ति नामित किये जाने पर विभागीय पत्र कमांक एफ 27(11)ग्रावि /आईएवाई/पीआरसी/ग्रुप–5 /2015–16 दिनांक 18.08.2015 अनुसार मानदेय देय होगा।
3. विभिन्न आवासीय योजनान्तर्गत नवीन आवास स्वीकृति के कम में पंजीकरण–आवेदन पत्र के सत्यापन/रिपोर्ट, स्वीकृत आवासों की अनुदान किश्त हस्तान्तरण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र व पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पूर्व में आदेशों को अतिकमित करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है :–
   I. पंचायत समिति को पंजीकरण एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित आवेदन पत्रों की जॉच हेतु पूर्व में अधिकृत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के साथ टैग अधिकारी को भी संयुक्त रूप से अधिकृत किया जाता है।
   II. स्वीकृत आवासों की अनुदान किश्त हस्तान्तरण हेतु टैग अधिकारी के रूप में नामित राजकीय कार्मिक/अधिकारी को (स्वतन्त्र रूप से) उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।

III. स्वीकृत आवासों की अनुदान किश्त हस्तान्तरण हेतु टैग अधिकारी के रूप में सामूदायिक संसाधन व्यक्ति मानदेय आधारित गैर सरकारी कार्मिक/व्यक्ति नामित किये जाने पर टैग अधिकारी (गैर सरकारी कार्मिक/व्यक्ति) के साथ ग्राम सेवक एवं पदेन.सचिव संयुक्त रूप से उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है, लेकिन नामित टेग अधिकारी उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र की एक अतिरिक्त प्रति सम्बन्धित ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत को भी प्रस्तुत करेंगे।

IV. स्वीकृत ऐसे आवास जिन के लिए टेग अधिकारी नामित नहीं किये गये है अथवा नामित अधिकारी के स्थानान्तरण होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पूर्व प्रावधानानुसार पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी को आश्रय वर्ष–2022 के मध्यनजर इन्दिरा आवास योजना को सुदृढीकरण कर 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रारम्भ की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत देय अनुदान राशि रू. 120000 पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के सीबीएस बैंक खाते में निम्नानुसार तीन किश्तों में देय होगी :–

I. प्रथम किश्त – स्वीकृति के साथ – 25 % स्वीकृत राशि (रू. 30,000/–)

II. द्वितीय किश्त – कुर्सी स्तर तक निर्माण पूर्ण करने पर – 50 % स्वीकृत राशि (रू. 60,000/–)

III. तृतीय किश्त – छत्त का कार्य पूर्ण होने एवं शौचालय का कार्य पूर्ण होने पर – 25 % स्वीकृत राशि (रू. 30,000/–)

अन्य विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 तक स्वीकृत/निर्माणाधीन आवासों के लाभार्थियों को देय अनुदान किश्तें वर्तमान में प्रभावी व्यवस्था (क्रमशः 25 %, 60 % एवं 15 % स्वीकृत राशि) के अनुसार यथावत ही देय होंगी।

1.8.2016

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रावि एवं पंरावि

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. निदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली को भेजकर आग्रह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत देय अनुदान राशि को उपरोक्तानुसार तीन किश्तों में दिये जाने का प्रावधान आवाससॉफ्ट में कराये जाने का श्रम करावें।

निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राज.।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, स्टेट मिशन डाईरेक्टर, राजीविका, उद्योग भवन, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव(मो. एवं मू.) को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता
(ग्रावि)